

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)


शेरसिंह पुत्र श्री उमराव जाति अहीर निवासी फौलादपुर तह0 नीमराना  
बनाम

उमराव पुत्र श्री सुखदेव जाति अहीर निवासी फौलादपुर तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0 07

सन 04.01.2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>04.01.2017 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 182, 624 कुल कित्ता 02 वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के उमराव के नाम दर्ज हिस्से में से 1/9 पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 22.03.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)</p>	

22/3/17  
26/7/17  
नीमराना (अलवर)

वर्षिक हिसाब

सूक्ष्म सा कार्यावाही मम प्रतिनिधित्व साधन

वर्षिक सा  
अवकाश  
सूचना  
में जारी

1-5-85  
आवक एवं व्ययवली प्रत्येक मास  
के लिए किया जाता है। पत्राचार  
आवकवली, पत्राचार व्ययवली, पत्राचार  
व्ययवली

उपरोक्त व्ययवली  
आवकवली

1-5-85 आवक एवं व्ययवली प्रत्येक मास  
के लिए किया जाता है। पत्राचार  
में प्रत्येक मास के प्रत्येक दिन  
के लिए एक प्रतिलिपि प्रत्येक  
मास के प्रत्येक दिन के लिए  
प्रतिलिपि का प्रत्येक प्रतिलिपि  
में प्रतिलिपि प्रत्येक प्रतिलिपि  
प्रत्येक प्रतिलिपि प्रत्येक प्रतिलिपि  
प्रत्येक प्रतिलिपि प्रत्येक प्रतिलिपि  
प्रत्येक प्रतिलिपि प्रत्येक प्रतिलिपि

1-5-85  
9/1/85

उपरोक्त अधिकांश  
नीरामा (सूचना-कार्य)